दिनांक 10 जनवरी 2021

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

दुकान के सामने सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों लिया गया अर्थदंड ,पाॅवरहाउस स्थित मुख्य बाजार में सड़क बाधा करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जवाहर मार्केट में सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जोन 03 की आयुक्त प्रीति सिंह के निर्देश पर जोन के राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में दुकान के सड़क के सामने काॅफी दूर तक सामान व स्टैण्डी होर्डिग्स रखने की वजह से आवागमन में परेशानी होने के साथ ही पार्किंग की समस्या बढ़ गई थी , जिसके चलते कार्यवाही करते हुए होर्डिंग्स और दुकान के सामने सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों को हटवाने की कार्यवाही करते हुए सड़क बाधा करने वाले 12 दुकानदारों से 10500 रूपए अर्थदंड वसूला गया। जोन के कर्मचारियों द्वारा शाम को की गई कार्यवाही में दुकान के सामने लगे टेबल कुर्सी हटवाई गई। जोन 03 मदर टेरेसा नगर के पाॅवर हाउस के जवाहर मार्केट में दुकानदारों के द्वारा सामान फैलाकर व्यवसाय करने की वजह से शाम को जाम की स्थिति बन जाती है। इसके चलते मार्केट में आने वाले लोगों को समस्या होती है। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने निगम क्षेत्र के सभी बाजार में दुकान के अतिरिक्त सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। जिसके परिपालन में जोन 03 आयुक्त की टीम सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर के साथ शाम को जवाहर मार्केट पहुंची और सड़क बाधा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही किए।

जनसम्पर्क अधिकारी